उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–990–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–13–ज0श0 एवं प्र0सु0/2018, दिनाँक :25.09.2018

कार्यालय ज्ञाप

ऊर्जा उपलब्धता एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के लिए प्रेरित कर बिजली की मांग कम करने हेतु निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0 के नियंत्रणाधीन डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई (Demand Side Management Unit) का गठन एतद्द्वारा किया जाता है।

2. उक्त डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई (Demand Side Management Unit) के कार्य का निर्धारण संलग्न विवरण के बिन्दु–1 के अनुसार तथा जन शक्ति एवं इसके कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण संलग्न विवरण के बिन्दु–2 के अनुसार किया जाता है।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

संख्या–990(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/केस्को कानपुर।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–। एवं स्तर–।।)/मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियंता/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
12. नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,
आर.के.गुप्ता
(आर0के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्रशि0)

1. **डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई के कार्य :–**

i). प्रदेश में उपभोक्ता के छोर पर बिजली की खपत कम कराने के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कार्यों (यथा वर्तमान में जारी "उजाला योजना" एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अन्य ऊर्जा बचत से सम्बन्धित योजनाए) का निष्पादन एवं अनुश्रवण।

ii). उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित डिमांड साइड मैनेजमेंट के कार्य।

iii). उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन एवं सम्बंधित सभी डिस्काम में ऊर्जा बचत के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन द्वारा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं उपलब्धता में अंतर को कम करने का कार्य।

iv). प्रदेश के सभी डिस्काम में किसान उदय ऊर्जा दक्ष पम्प आवंटन योजना से सम्बन्धित सभी कार्य।

v). प्रदेश में उपभोक्ता के छोर पर "डिमांड रेस्पांस' विधि से विद्युत की मांग/पीक लोड कम करने का कार्य।

vi). प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर विद्युत आपूर्ति एवं उपलब्धता में अंतर को कम करने का कार्य।

vii). सभी डिस्कॉम्स में डिमांड साइड मैनेजमेंट सेल की सहायता से विद्युत बचत के कार्य।

viii). प्रदेश सरकार/प्रबंधन द्वारा निर्धारित डिमांड साइड मैनेजमेंट के सभी अन्य कार्य जो विद्युत बचत/डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए प्रस्तावित किए जाएं।

2. **डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई हेतु जन शक्ति तथा इसके कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व :–**

पदनाम	पदों की संख्या	कार्य एवं दायित्व
मुख्य अभियन्ता	01	डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई के लिए निर्धारित सभी कार्यों का निर्वहन।
अधीक्षण अभियन्ता	01	मुख्य अभियन्ता के द्वारा आवंटित सभी कार्यों का अपने अधिशासी अभियन्ता के सहयोग से निष्पादन।
अधिशासी अभियन्ता	01	मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा आवंटित सभी कार्यों का निष्पादन एवं इकाई में आहरण एवं वितरण से सम्बंधित कार्य।
अवर अभियन्ता	01	अधिशासी अभियन्ता/आहरण एव वितरण अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी कार्यों का सम्पादन।
लेखाधिकारी	01	इकाई में लेखा से सम्बन्धित कार्य।
कार्यालय सहायक–प्रथम	01	इकाई में अधिशासी अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लेखाधिकारी की सहायता के लिए सभी कार्य।

(i) उक्त इकाई के लिये उपरोक्त पदों की व्यवस्था पूर्व से स्वीकृत पदों, जो अन्य इकाइयों में प्रयुक्त हैं, में कटौती करके की जायेगी तथा अन्यत्र स्वीकृत पदों के विरुद्ध डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई में तैनातियाँ किया जाना सम्बन्धित अधिष्ठान इकाइयों के स्तर से अपेक्षित होगा।

(ii) उक्त डिमाण्ड साइड मैनेजमेन्ट इकाई (Demand Side Management Unit) हेतु वाह्य एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 02 अनुचर की व्यवस्था की जायेगी।

आर.के. गुप्ता